# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.02.2021

## शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

## अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

### 01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. पूनम पत्नी स्व0 मंजनू नि0 गढी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–18/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रवि यादव उर्फ गोली पुत्र वासुदेव यादव नि0 दलपतपुर पहली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–43/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### 03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामू सोनकर पुत्र स्व0 तरनू नि0 भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–44/21, धारा 272 भादवि, 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### दहेज हत्या का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त सहदेव पुत्र गोपी नि0 बक्सैला थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–13/21, धारा 498ए.304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों के साथ मिलकर दिनांक 03.02.2021 को वादी रामयश पुत्र गुल्ले नि0 अभईपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा की लड़की रेनू को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए करते हुए फासी लगा कर जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बरसड़ा पुलिया मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना मोतीगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त राजकुमार प्रजापति पुत्र हरिप्रसाद प्रजापति नि0 सीतलगंज ग्रण्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0–205/20, धारा 306.419.420.467.468.471. 120बी भादवि व 66 आई0टी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 13.06.2020 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी की अश्लील फोटो कूटरचित ढंग से वायरल कर दिया था। जिससे लड़की क्षुब्द होकर आत्महत्या कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मोतीगंज द्वारा की जा रही थी। थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के आधार पर प्रकाश मे आये उक्त आरोपी अभियुक्त को कहोबा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## चोरी की योजना बनाते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

### गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. मुकेश पुत्र महलवान नि0 ढेडवा ठोकरनपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. सुनील पुत्र दुर्गाप्रसाद नि0 ठडक्की पट्टी थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–92/21, धारा 401 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी–
01. चोरी करने के उपकरण।

### संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 05.02.2021 थाना को0 नगर के उ0नि0 भानु प्रताप सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 व्यक्ति ठाकुर द्वारा मंदिर के पीछे बैठकर चोरी की योजना बना रहे है। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुॅचकर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी करने के उपकरण बरामद किये गये। अभियुक्तो को थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 भानु प्रताप सिंह।
02. उ0नि0 गोपाल सिंह।
03. हेड का0 अतुल सिंह।
04. हेड का0 यशवन्त यादव।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 05.02.2021

### 01 किलो0 490 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार–

**गिरफ्तार अभियुक्ता–**

01. सरोजा देवी पत्नी स्व0 शिव बहादुर नि0 ग्राम घारीघाट असनहरा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग–**

01. मु0अ0सं0–23/21, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

**बरामदगी–**

01. 01 किलो0 490ग्राम अवैध गांजा।

**संक्षिप्त विवरण–**

आज दिनांक 05.02.2021 को थाना खोड़ारे के उ0नि0 मनोज मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्ता को घारीघाट से असनहरा जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो0 490 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्ता को थाना खोड़ारे में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम–**

01. उ0नि0 मनोज गुप्ता।
02. हेड का0 रणविजय यादव।
03. म0का0 प्रियंका गौतम।